न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 02 / 2016
दायर दिनांक : 05 / 04 / 2016
निर्णय दिनांक : 13 / 11 / 2025

उनवान

1 नाहरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2 श्यामसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3 विष्णुकंवर पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 मांगु पिता गेगा गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2 डालू पिता गेगा गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3 डुगा पिता गेगा गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4 लच्छु पिता गेगा गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
5 लादु पिता मांगु गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
6 नाना पिता मांगु गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री एन.के.दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बालेन्दु कोठारी, अधि. अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 877 रकबा 0.05 है0 आ0स0 894 रकबा 0.11 है0 आ0स0 895 रकबा 0.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है0 जमाबंदी नकल साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात संयुक्त कब्जे काश्त की होकर सालों से उपयोग कर रहे है पडोस में अप्रार्थीगण की आराजियात है अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगणों की आराजियात मे दखल कर अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण आशय से दखल करते है। अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगणों की आ0स0 895 में अनाधिकार प्रवेश कर प्रार्थीगणों की कब्जे काशत की आराजियात में टयूबवैल खोदकर अतिक्रमण किया है तथा प्रार्थीगणों द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हुए जिस पर प्रार्थीगण द्वारा 25.03.2016 को थाना भूपालसागर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 143 447 427 आई पी0सी0 में दर्ज कराई जो अनुसंधानरत है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.03.2016 को उक्त आराजियात की सीमा जानकारी तहसीलदार भूपालसागर द्वारा पटवार हल्का कांकरवा से कराई जिसमें उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होकर शुमार है। अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकारपूर्वक प्रार्थीगणों की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात में अनाधिकृत प्रवेश कर टयूबवैल बनवाई है उसके उपयोग तथा उस पर विद्युत कनेक्शन अप्रार्थीगणों द्वारा नही लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पाबंद कराया जाना आवश्यक है। अगर अप्रार्थीगणों को पाबंद नही कराया गया तो हमें आराजियात से मेहरूम होना पडेगा अतः अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने से उनको कोई नुकसान नही है।

Signature Not Verified

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन [illegible] जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर वे वकील श्री बालेन्दु कोठारी ने अधिकार पत्र मूल [illegible] में [illegible] किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 01.01.2024 को बंद किया गया

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, वहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन सावित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गागोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:02 IST
Reason: SelfAttested